भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *171
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 / 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

***171# श्री बाबू राम निषादः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को विश्व स्तरीय जांच एजेंसी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *171, दिनांक 11.12.2024

'राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)' के संबंध में दिनांक 11.12.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *171 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) और (ख): 26/11 मुम्बई हमलों के मद्देनजर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्थापना एक केंद्रीय आतंकवाद-रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी के रूप में की गई थी।

यह अभिकरण एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित मुद्दों आदि को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और उनका अभियोजन करता है।

सरकार ने एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से एनआईए को भारत से बाहर घटित उन अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्रदान की है, जिनमें भारतीय नागरिक अथवा भारतीय हित शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और आयुध अधिनियम, 1959 से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए एनआईए के अधिदेश में विस्तार भी किया गया है।

एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसके गुवाहाटी और जम्मू में 02 क्षेत्रीय कार्यालय तथा पूरे देश में 21 शाखा कार्यालय हैं, जिनमें से 13 नये शाखा कार्यालयों और 02 क्षेत्रीय कार्यालयों की मंजूरी पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई है।

वर्तमान में एनआईए में कुल 1901 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 664 पदों की मंजूरी पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई है।

सरकार ने एनआईए की स्थापना के बाद इसके लिए 12.09 करोड़ रुपये की प्रारंभिक स्वीकृति वर्ष 2009-10 के दौरान प्रदान की थी। यह आवंटन वर्ष 2014-15 में 91.32 करोड़ रुपये था, जिसे अब चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अत्यधिक रूप से बढ़ाकर 394.66 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *171, दिनांक 11.12.2024

अपनी शुरूआत से, एनआईए ने 640 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 95.23% की दोषसिद्धि दर के साथ 147 मामलों में निर्णय दिया जा चुका है।

सरकार ने देशभर में 51 एनआईए विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट किए हैं, जिनमें से रांची और जम्मू स्थित 02 एनआईए विशेष न्यायालयों को अनन्य रूप से एनआईए द्वारा जांच किए गए अनुसूचित मामलों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले/उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन में एनआईए की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं/प्रयास किए गए हैं:

(i) बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाने और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं, पद्धतियों के स्वचालन और डिजिटलीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय टेरर डाटा फ्यूजन एंड एनालाइसिस सेंटर (एनटीडीएफएसी) की स्थापना की गई है, जिससे पर्यवेक्षण सुदृढ़ होगा और कार्य कुशलता, निरंतरता तथा जवाबदेही बेहतर होगी।

(ii) सरकार ने जनवरी, 2018 में एनआईए में आईएसआईएस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईआईआरसी) का गठन किया है और आतंकवाद के अन्य स्वरूपों को शामिल करते हुए इसके दायरे में वृद्धि करने के साथ ही इसका नाम बदलकर आतंकवाद-रोधी अनुसंधान प्रकोष्ठ (सीटीआरसी) कर दिया गया है।

(iii) एनआईए में मानव तस्करी-रोधी प्रभाग (एएचटीडी), साइबर आतंकवाद-रोधी प्रभाग (एसीटीडी) और विधिक विशेषज्ञों सहित एक विशेष प्रकोष्ठ जैसे विशिष्ट प्रभागों का गठन भी किया गया है।

(iv) आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के मामलों की जांच के लिए एनआईए को केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके लिए एनआईए में एक आतंकवाद वित्तपोषण और जाली करेंसी (टीएफएफसी) प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, ताकि केंद्रित जांच की जा सके।

(v) पूरे विश्व के देशों के साथ समन्वय हेतु, गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए ने वर्ष 2022 के दौरान मंत्री स्तरीय सम्मेलन "नो मनी फोर टेटर (एनएमएफटी)" के तृतीय संस्करण का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 78 दशों तथा 16 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(vi) पिछले 03 वर्षों के दौरान, एनआईए ने विदेशी एजेंसियों के सहयोग से एनआईए के अधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस, केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटीपी) आयोजित किए हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान एनआईए ने विदेशी अधिकारियों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(vii) वर्ष 2018 से एनआईए ने आतंकवाद से निपटने में राज्य पुलिस बलों (किसी भी आतंकी घटना के दौरान प्रथम कार्रवाई करने वालों) के क्षमता संवर्धन के लिए 40 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

(viii) हाल ही में, सरकार ने फॉरेंसिक विशेषज्ञता के क्षेत्र में एनआईए अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के लिए एनआईए और एनएफएसयू (राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ix) एफआईसीएन से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्यबल (जेटीएफ) गठित किया गया है। एनआईए ने केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल सहित पड़ोसी देशों के पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि एफआईसीएन की तस्करी से निपटा जा सके।

(x) एनआईए 26 देशों के साथ आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) में एक नियमित भागीदार रहा है, जो आतंक से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ समन्वय स्थापित करने में इस अभिकरण की सहायता करता है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *171, दिनांक 11.12.2024

(xi) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले/उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन में एनआईए की क्षमता को बढ़ाने के लिए विश्व की सर्वोत्तम आतंकवाद-रोधी एजेंसियों की कार्यप्रणाली के मानदंडों के अनुरूप एनआईए की क्षमताओं को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

*****